# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2019/00462

1. छीतर लाल
2. अणदीलाल
3. पप्पू लाल पिसरान श्री मोडू जाति माली निवासी के0 पानि तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. बृजेश उर्फ बृजमोहन आत्मज श्री मोडू जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तृप्ती गौरव बाहेती, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 11.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की कुल किता 05 की कुल आराजी रकबा 2.93 हैक्टर के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के संयुक्त खाते में अंकित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं निर्माण कराने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये, अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर, भूमि को अकृषि कार्यों में उपयोग में नहीं लेवे, खुर्द–बुर्द, बेचान, रहन आदि नहीं करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन किये बिना ही किसी सक्षम अधिकारी से निर्माण आज्ञा प्राप्त किये बिना कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर अकृषि कार्य कर दुकाने बना रहे हैं जिससे कृषि भूमि का स्वरूप बदल जावेगा और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के मुकदमे में प्रार्थी को जो भूमि प्राप्त होगी उसमें कई प्रकार के उत्तरोत्तर विवाद उत्पन्न होंगे । अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर अकृषि कार्य निर्माण आदि नहीं करें।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों को वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन किये बिना किसी सक्षम अधिकारी से निर्माण आज्ञा प्राप्त किये बिना कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन अकृषि कार्य निर्माण कर कृषि भूमि का स्वरूप नहीं बदला जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को रहन, बेचान नहीं करने व निर्माण न करने बाबत् आवेदन पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसकी अपील भी खारिज हो चुकी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब एक बार प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तो पुनः वाद में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट को पेश करने का अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बाबत् अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण करने हेतु तैयारी करने पर दिनांक 14.10.2019 को रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मौके पर आये और अपीलान्ट को निर्माण न करने देने व निर्माण न करने बाबत् अदालत का आदेश होने का कथन किया । इस पर अपीलान्ट क्रम 01 अपने अधिवक्ता के पास दिनांक 15.10.2019 को गया तो उन्होंने पत्रावली देखकर बताया कि उक्त आदेश दिनांक 08.04.2019 को पारित हो गया है । इस पर अपीलान्टगण द्वारा नकल हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 17.10.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.02.2016 से खारिज किया है । इस निर्णय के खिलाफ अपील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई जिसे इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को खारिज किया गया है । इसके बावजूद प्रार्थी ने दिनांक 18.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया और यह कथन किया कि प्रतिपक्षीगण किस्म परिवर्तन किये बिना निर्माण आज्ञा प्राप्त किये बिना कृषि भूमि पर निर्माण कर रहे हैं जिन्हें रोका जावे । उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए किस्म परिवर्तन किये बिना, अकृषि कार्य नहीं करने का आदेश प्रदान किया गया जो त्रुटिपूण्र है । पूर्व में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । ऐसी स्थिति में यह नया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाना चाहिए था जिसे स्वीकार करने में त्रुटि की है । वादी क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । यद्यपि प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी में पेश किया है परन्तु इसमें जो सहायता मांगी गई है वह अस्थायी निषेधाज्ञा की है इस कारण यह अपील मेन्टेनेबल है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील खारिज होने के बाद रेस्पोडेन्ट को माननीय राजस्व मण्डल में चाराजोही करनी चाहिए न कि नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 163 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । कृषि भूमि पर बिना संपरिवर्तन आदेश के निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दावे में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया है और यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण किस्म परिवर्तन कराये बिना सक्षम निर्माण आज्ञा प्राप्त किये बिना दुकानों का निर्माण कर रहे हैं । अतः उन्हें अकृषि कार्य निर्माण इत्यादि से

रोका जावे । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में जो सहायता चाही गई है वह अस्थायी निषेधाज्ञा की ही है और प्रार्थना पत्र में जो सहायता चाही जाती है उसी के आधार पर किस धारा में पेश किया गया है यह तय किया जाता है वह उस शीर्षक में अंकित धारा के अधार पर । चूँकि इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना चाही गई है, अतः इसे धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाना माना जावेगा और इस प्रार्थना पत्र पर जो निर्णय पारित किया गया है उसकी अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में मेन्टेनेबल है ।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2017 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार परीक्षण न्यायालय के द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 11.02.2016 को जो निर्णय पारित किया गया था उसके खिलाफ पेश की गई अपील को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को खारिज किया गया था । ऐसी स्थिति में अब रेस्पोडेन्ट वादी को इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश करनी चाहिए न कि नये सिरे से अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 2000 पेज 163 यहाँ चस्पा होती है जिसके अनुसार एक बार अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने पर दोबारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र रेसजूडीकेटा से प्रभावित होगा ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2019 निरस्त किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.11.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा